भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2963 का उत्तर

रेलवे भूमि का उपयोग

2963. श्री अरुप चक्रवर्ती:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे की खाली पड़ी भूमि के पुनर्विकास के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि गैर-प्रशुल्क राजस्व का स्रोत सृजित किया जा सके;

(ख) देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गैर-वातानुकूलित या स्लीपर श्रेणी में किफायती रेलगाड़ियाँ शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे की भूमि को अवैध अतिक्रमणों से मुक्त कराने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल भूमि विकास प्राधिकरण को ऐसी खाली रेल भूमि वाणिज्यिक पुनर्विकास के लिए सौंपी जाती है, जिसकी रेलवे को अपनी तात्कालिक परिचालनिक आवश्यकताओं

के लिए ज़रूरत नहीं होती है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ऐसी खाली भूमि का व्यवहार्यता अध्ययन प्रतिष्ठित वास्तुविद, विपणन और मूल्यांकन सलाहकार के माध्यम से करता है ताकि रेलवे के लिए गैर-दरसूची राजस्व अर्जित करने की व्यावसायिक क्षमता का आकलन किया जा सके। वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम भूमि पट्टों के लिए, खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां आमंत्रित की जाती हैं और उच्चतम बोलीदाता को वाणिज्यिक विकास के लिए भूखंड सौंपा जाता है। अब तक रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने रेलवे की 19 कॉलोनियों, 48 वाणिज्यिक स्थलों और गैर-टैरिफ राजस्व के उत्पन्न करने के लिए 56 बहुआयामी परिसरों के वाणिज्यिक विकास हेतु निविदाएं प्रदान की हैं।

भारतीय रेल, रेल भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाता है। फेरी वाले और अवैध कब्ज़ाधारियों जैसे कच्चे अतिक्रमण (अस्थायी अतिक्रमण) को रेल सुरक्षा बल और सिविल प्राधिकरणों की सहायता से हटाया जाता है, जबकि पक्के अतिक्रमण (पक्की संरचना) को समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (पीपीई अधिनियम, 1971) में निहित प्रावधानों के अनुसार हटाया जाता है। अनधिकृत कब्जाधारियों को वास्तविक रूप से हटाने का कार्य राज्य सरकार और पुलिस की सहायता से किया जाता है।

स्टेशन पुनर्विकास:

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरुआत की है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफार्म की सतह में सुधार और प्लेटफार्म के

ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टीमोडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल साधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है। देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के विकास संबंधी कार्य अच्छी गति में शुरू किए गए हैं। अब तक, 105 स्टेशनों पर चरण-I के कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

भारतीय रेल में स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इससे संबंधित कार्यों को आवश्यकतानुसार, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन शुरू किया जाता है। कार्यों को स्वीकृत और निष्पादित करते समय स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए निचली कोटि के स्टेशन की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशन को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए योजना शीर्ष-53 के तहत 12,118 करोड रु. आबंटित किए गए हैं, जबकि अब तक (जून, 2025 तक) 2,612 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

रेल भूमि विकास प्राधिकरण देश भर में 15 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य भी निष्पादित कर रहा है। इनमें से एक स्टेशन (ठाणे) योजना निर्माण चरण में है और 14 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है।

अवातानुकूलित (साधारण और शयनयान सवारी डिब्बे):

भारतीय रेल ने साधारण/शयनयान श्रेणी में यात्रा की मांग करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अकेले पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ही विभिन्न लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में 1250 सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बों का उपयोग किया गया है।

निम्न एवं मध्यम आय वाले परिवारों की यात्रा मांग को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल ने अगले 5 वर्षों में 17,000 अवातानुकूलित सवारी डिब्बों (साधारण/शयनयान) का विनिर्माण शुरू किया है।

भारतीय रेल पर, अवातानुकूलित सवारी डिब्बों का प्रतिशत लगभग 70% है, जैसा निम्नानुसार दर्शाया गया है:

तालिका 1: सवारी डिब्बों का वितरण

सवारी डिब्बों का प्रकार	सवारी डिब्बों की संख्या	प्रतिशत
अवातानुकूलित सवारी डिब्बे (साधारण और शयनयान)	लगभग 57,200	लगभग 70%
वातानुकूलित सवारी डिब्बे	लगभग 25,000	लगभग 30%
कुल सवारी डिब्बे	लगभग 82,200	100%

साधारण डिब्बों की अधिक उपलब्धता के कारण साधारण/अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि का रुझान देखा गया है जैसा निम्नानुसार दर्शाया गया है:

तालिका 2: साधारण/अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रियों की संख्या :

वर्ष	यात्रियों की संख्या
2020-21	99 करोड़ (कोविड वर्ष)
2021-22	275 करोड़ (कोविड वर्ष)
2022-23	553 करोड़
2023-24	609 करोड़
2024-25	651 करोड़

पिछले कुछ वर्षों में अवातानुकूलित सवारी डिब्बों यात्रियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

तालिका 3: सीटों की संख्या का वितरण:

सीटों का प्रकार	सीटों की संख्या	प्रतिशत
अवातानुकूलित सवारी डिब्बों में सीटों की संख्या	लगभग 54 लाख	लगभग 78%

वातानुकूलित सवारी डिब्बों में सीटों की संख्या	लगभग 15 लाख	लगभग 22%
कुल	लगभग 69 लाख	100%

उपरोक्त आँकड़ों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि भारतीय रेल उन कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए प्रतिबद्ध है जो रेलवे को परिवहन के एक किफायती साधन के रूप में वरीयता देते हैं।

अमृत भारत एक्सप्रेस:

रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस नामक एक पूर्णतः अवातानुकूलित आधुनिक रेलगाड़ी विकसित की है। इस रेलगाड़ी की 14 सेवाएँ पहले से ही परिचालन में हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस की संरचना में 11 सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बे, 8 शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बे, 1 रसोई यान और 2 सामान-सह-दिव्यांगजन सवारी डिब्बे होते हैं।

उच्च गति व उन्नत संरक्षा मानक इस रेलगाड़ी की पहचान हैं, जिसमें निम्नलिखित उन्नत विशेषताएं और सुविधाएं हैं:

i. वंदे भारत स्लीपर के समान उन्नत रूप और अनुभव वाली सीट और बर्थ का बेहतर सौंदर्यीकरण।
ii. झटका मुक्त सेमी-ऑटोमेटिक कपलर्स।
iii. क्रैश ट्यूब के प्रावधान से सवारी डिब्बों में बेहतर क्रैशवर्दीनैस।
iv. सभी सवारी डिब्बों और सामान कक्ष में सीसीटीवी प्रणाली का प्रावधान।
v. शौचालयों की बेहतर डिज़ाइन।
vi. बर्थ पर आसानी से चढ़ने के लिए सीढ़ी की बेहतर डिज़ाइन।
vii. बेहतर एलईडी लाइट फिटिंग और चार्जिंग सॉकेट।
viii. ईपी सहायता प्राप्त ब्रेकिंग प्रणाली का प्रावधान।

ix. शौचालयों और इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स में एरोसोल आधारित अग्निशमन प्रणाली।

x. यूएसबी टाइप-ए और टाइप-सी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट।

xi. यात्री और गार्ड/रेलगाड़ी प्रबंधक के बीच पारस्परिक संचार के लिए आपातकालीन टॉक-बैक प्रणाली।

xii. उन्नत तापन क्षमता वाला अवातानुकूलित रसोईयान।

xiii. आसानी से जोड़ने और अलग करने के लिए त्वरित निस्तारण तंत्र के साथ पूर्ण रूप से सीलबंद गैंगवे।

अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का विकास, मेमू रेलगाड़ियों का निर्माण और सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बों की वृद्धि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारतीय रेल सामान्य श्रेणी में यात्रा की मांग को प्रभावी ढंग से पूरा कर रही है।

इसके अतिरिक्त, अनारक्षित स्थान प्राप्त करने के इच्छुक यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल द्वारा किफायती यात्रा के लिए अनारक्षित अवातानुकूलित यात्री गाड़ियों/मेमू/ईएमयू आदि का परिचालन किया जाता है, जो मेल/एक्सप्रेस सेवाओं में उपलब्ध अनारक्षित स्थान (सवारी डिब्बों) के अतिरिक्त हैं।

मानक संरचना:

सामान्य और अवातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने हेतु, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की संरचना के बारे में मौजूदा नीति में 22 सवारी डिब्बों की एक रेलगाड़ी में 12 (बारह) सामान्य श्रेणी व शयनयान श्रेणी के अवातानुकूलित सवारी डिब्बों और 08 (आठ) वातानुकूलित सवारी डिब्बों का प्रावधान किया गया है।

*****